FORM No. III (प्रारूप संख्या-3)

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

जगदीश बनाम मक्खन वगैरा

किस्म मुकदमा .... नम्बर 23/2021 CCMS-2021/537

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
24/09/2025	

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप0। वकील वादी ने वादपत्र में वर्णित भूमि के राजस्व ग्राम सिरोही के स्थान पर राजस्व ग्राम चरणसिंह दुरस्त किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया जो न्यायहित में स्वीकार किया जाकर वादपत्र में वर्णित भूमि के राजस्व ग्राम सिरोही के स्थान पर राजस्व ग्राम चरणसिंह लाल स्याही से दुरुस्त किया जाता हैं। प्रकरण में बहस वकुलाय उभयपक्ष सुनी गयी। प्रकरण में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी हैं। दौरान बहस वकुलाय उभयपक्ष ने मुताबिक अनुतोष दावा डिक्री फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, पेशशुदा ईकवालिया जवाब और पेशशुदा शपथ-पत्र का अवलोकन किया गया एवम् बहस वकुलाय उभयपक्ष पर सगौर मनन किया गया। चूंकि विवादित भूमि की खातेदारी राजस्व अभिलेख में जमाबन्दी संवत 2023-26 में सीता पुत्र दूला हिस्सा 1/2 व नाथा उर्फ नाथ्या पुत्र सेवा हिस्सा 1/2 जाति धोबी के नाम से दर्ज रही हैं। सीता पुत्र दूला का देहान्त होने पर उक्त हिस्सा 1/2 की खातेदारी विरासत के आधार पर सीता पुत्र दूला के वारिसान रिछपाल, मोहनलाल, प्रभूदयाल उर्फ प्रभूराम, अर्जुनलाल, छोटूराम के नाम से जरिए नामान्तरकरण सं0 311 दर्ज की गई। प्रभूदयाल उर्फ प्रभूराम पुत्र सीता के कोई सन्तान उत्पन्न नही हुयी तब उक्त प्रभूदयाल उर्फ प्रभूराम ने स्वयं की मर्जी एवं अपनी पत्नी की सहमति से वादी को अपना दत्तक पुत्र सामाजिक रिति रिवाजो के अनुसार स्वीकार कर गोद की रस्म पूर्ण की गयी।

विवादित भूमि में वादी ही उक्त प्रभूदयाल उर्फ प्रभूराम के हिस्से पर विरासत के आधार पर काबिज काश्त करता आ रहा हैं। वादी के दत्तक ग्रहिता पिता प्रभूदयाल उर्फ प्रभूराम का देहान्त दिनांक 05.12.2001 को हो गया। वादी के सरकारी रिकार्ड एवं अन्य दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, विधुत बिल, पानी का बिल आदि में भी वादी के पिता का नाम प्रभूदयाल उर्फ प्रभूराम ही अंकित हैं। प्रतिवादीगण ने भी वादी को प्रभूदयाल उर्फ प्रभूराम के स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित की जाने से अनापत्ति अपने जवाब में पेश की हैं। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रकरण में घोषणा इस आशय की जारी की जाती हैं किः—

आदेश

तन ग्राम चरणसिंहनगर पटवार हल्का सिरोही तहसील नीमकाथाना जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी 11, 13, 16, 19, 23, 25, 26 कुल किता 7 कुल रकबा 4.50 है0 में वादी के जायन्दा पिता रिछपाल की विरासत से प्राप्त हिस्सा 1/50 से नाम हजफ कर वादी के जायन्दा पिता के अन्य पुत्रों मक्खन, प्रकाश, किशनलाल व दीपाराम को उक्त हिस्से का बहिस्सा बराबर एवम् वादी के दत्तक ग्रहिता पिता "प्रभूदयाल उर्फ प्रभूराम पुत्र सीता हिस्सा 1/10 जाति धोबी(मुस्लिम)" के स्थान पर वादी "जगदीश पुत्र रिछपाल दत्तकपुत्र प्रभूदयाल उर्फ प्रभूराम जाति धोबी (हिन्दू)" को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **नीमकाथाना (सीकर)**
बइजलास **राजवीर सिंह यादव R.A.S.**

1. जगदीश पुत्र रिछपाल दत्तकपुत्र प्रभूदयाल उर्फ प्रभूराम जाति धोबी निवासी उपरलाबास तन सिरोही तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

–वादी

बनाम

1. मक्खन पुत्र स्व. रिछपाल वगैरह

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा, दुरूस्ती रिकॉर्ड एवं स्थाई निषेधाज्ञा
मुकदमा नं. 231 सन् 2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस** व हाजिरी **श्री नवीन यादव एडवोकेट** मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री दिनेश कुमार शर्मा, श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि **तन ग्राम चरणसिंहनगर पटवार हल्का सिरोही तहसील नीमकाथाना जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी 11, 13, 16, 19, 23, 25, 26 कुल किता 7 कुल रकबा 4.50 है0 में वादी के जायन्दा पिता रिछपाल की विरासत से प्राप्त हिस्सा 1/50 से नाम हजफ कर वादी के जायन्दा पिता के अन्य पुत्रों मक्खन, प्रकाश, किशनलाल व दीपाराम को उक्त हिस्से का बहिस्सा बराबर एवम् वादी के दत्तक ग्रहिता पिता "प्रभूदयाल उर्फ प्रभूराम पुत्र सीता हिस्सा 1/10 जाति धोबी(मुस्लिम)" के स्थान पर वादी "जगदीश पुत्र रिछपाल दत्तकपुत्र प्रभूदयाल उर्फ प्रभूराम जाति धोबी (हिन्दू)" को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।**

.निज.....................मुबलिग...बाबत..खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें। बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 24 माह 09 सन् 2025** को जारी की गई।

दस्तखत.............
ओहदा.............

मुहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।